7– किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है :–

प्रदेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत/तैनात अधिकारियों के नियुक्ति प्राधिकारी शासन हैं।

जिला योजना के अन्तर्गत लोक सदस्यों से परामर्श करके रोगी शैशाओं की वृद्धि, वार्ड के निर्माण आदि कायों में उनका सहयोग लिया जाता है।

शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत उसका अनुपालन/कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पुरोनिधानित कार्यक्रम के रूप मे प्रदेश मे भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संचालित है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में रोगियो को खोज एवं नियमित उपचार द्वारा रोग मुक्त किये जाने के लिए लक्ष्य विहीन रणनीति अपनाने के निर्देश दिये है।

राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के राज्य स्तर एवं जनपद स्तर पर संचालन एवं समीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट लेप्रोसी सोसाईटी राज्य स्तर पर तथा जिला कुष्ठ समितियॉ जनपद स्तर पर गठित हैं, जिनमें स्वैच्छिक कुष्ठ संस्थाओं के प्रतिनिधि को सदस्य के रूप में रखा गया है। कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित कार्यक्रम हैं, जिसके संचालन हेतु दिशा निर्देशन एवं मार्ग दर्शन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति से संबंधित सदस्यों के अभ्यावेदनों का निराकरण किया जाता है।

जिला योजना के अन्तर्गत लोक सदस्यों से परामर्श करके रोगी शैशाओं की वृद्धि, पर वार्ड के निर्माण आदि कायों में उनका सहयोग लिया जाता है।

केन्द्रीय औषधि भण्डार में सामान्यतः खुली निविदायें आमंत्रित किए जाने का कार्य संपादित होता है जिसमें सर्व सम्मति जनता के परामर्श एवं अभ्यावेदन के लिए स्वतंत्र रहते हैं।

सिविल अभियंत्रण इकाई द्वारा विविध निर्माण/मरम्मत कार्यो को व्यवहरित किया जाता है। जिसमें नीतिगत विषय सम्मिलित नहीं होते हे।

विद्युत प्रकोष्ठ द्वारा विविध अनुरक्षण कार्यों को व्यवहारित किया जाता है जिसमें नीतिगत विषय सम्मिलित नहीं होते हैं।